कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–2185/अलीगढ़/22272/2016, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 25, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त
अलीगढ़।

विषयः अलीगढ़ में 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़–प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष व 2 पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–2690/14–1, दि0 10.04.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

1– वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित समरेखण प्रदर्षित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित कर प्रस्तावित वनभूमि को चिन्हित नहीं किया गया है।

2– प्रस्तावित वनभूमि के स्वामित्व वाले विभाग की अनापत्ति संलग्न नहीं है।

3– प्रयोक्ता एजेंसी की ओर से प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी संलग्न नहीं है।

4– प्रस्ताव पर विषय–सूची संलग्न है, किन्तु किसी भी पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2185 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– श्री आदित्य किसलय, मैनेजर, गुड़गॉव पलवल ट्रॉसमिशन लि0, ईश्वरनगर मथुरा रोड, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।